श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से., प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त महोदय के निदेश के आलोक में अनुशासनिक कार्यवाहियों के लंबित मामलों के त्वरित एवं सम्यक निष्पादन हेतु दिनांक-30.3.2026 को की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
2. उप सचिव, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय।
3. आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
4. संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
5. अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा।
6. स्थापना उप समाहर्त्ता, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा।

उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। मुख्य जाँच आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अनुशासनिक कार्यवाही के त्वरित एवं सम्यक निष्पादन की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। सर्वप्रथम मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय से प्राप्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित PPT चला कर बिन्दुवार सभी पदाधिकारियों को प्रावधानों की जानकारी दी गयी। मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के स्तर से प्रमंडल व जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी के साथ विभागीय जाँच से संबंधित बैठक आहुत की गयी थी। उक्त बैठक में सभी नोडल पदाधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित Flow Chart एवं अन्य Booklet दिया गया था। उक्त सामाग्री को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय Distribute करा दिया जाय। तथा लंबित अनुशासनिक कार्यवाही को संगत नियम व विभागीय निदेश के आलोक में समयबद्ध निस्तार करने की कार्रवाई की जाय।

बैठक के अगले चरण में जिलावार अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गयी। जिला स्तर से लंबित विभागीय कार्यवाही की विवरणी निम्नानुसार है :-

क्र0	जिला का नाम	कुल लंबित मामले	छः माह से अधिक लंबित मामले	नौ माह से अधिक लंबित मामले
1.	सहरसा	08	05	05
2.	सुपौल	35	19	15
3.	मधेपुरा	30	19	18

जिलावार विभागीय कार्यवाही के लंबित मामलों की क्रमिक रूप से समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता-सह-नोडल पदाधिकारी के द्वारा लंबित विभागीय कार्यवाही में विलंब के कारण के संबंध में सही-सही जानकारी नहीं दिया जा सका। समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

1. जिला पदाधिकारी के स्तर से प्रत्येक माह विभागीय कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा 6/9 माह से अधिक लंबित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख की समीक्षा करते हुए विलंब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।
2. 06 माह से अधिक लंबित मामलों को अभियान चलाकर 03 माह के अंदर निष्पादित किया जाय।
3. प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत निम्नांकित मामलों में निम्नांकित अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में अप्रत्याशित विलंब दृष्टिगत हैः-

जिला-सहरसा					
क्र0सं0	आरोपित पदाधिकारी का नाम/पदनाम	आरोप पत्र गठन की तिथि	जाँच पदाधिकारी का नाम	जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

1	श्री संतोष कुमार झा, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, कहरा	05.08.2023	अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, सहरसा	अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित
2	श्री कृष्ण कुमार पासवान, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, नवहट्टा	04.08.2020	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा	अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित
3	श्री महेन्द्र कुमार पासवान, निम्न वर्गीय लिपिक, समाहरणालय, सहरसा	29.09.2021	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा	अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित

जिला-सुपौल					
1	श्री राजेश कुमार रंजन, लिपिक, अंचल कार्यालय, छातापुर	31.01.2023	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल	अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित
2	श्री राजकुमार यादव, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, छातापुर	14.07.2023	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल	अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित
3	श्री अरूण कुमार राउत, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पिपरा	28.03.2023	अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली	01.07. 2024	दंड अधिरोपित हेतु प्रक्रिधीन।
4	श्री राजकुमार चौधरी, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, राघोपुर	05.08.2022	अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल	अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित

श्री अरूण कुमार राउत, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पिपरा के मामले के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा 01.7.2024 को ही जांच प्रतिवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को उपलब्ध कराया गया। किन्तु वर्तमान में भी दंड अधिरोपित हेतु मामला प्रक्रियाधीन है। इस मामले में अप्रत्याधित विलंब के संबंध में जिला पदाधिकारी, सुपौल जवाब उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेंगे।

जिला-मधेपुरा					
1	श्री सागर कुमार, चौकीदार	28.12.2022	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा	अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित

2	श्री अनिल ऋषिदेव, चौकीदार	07.06.2025		अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित
3	श्री दिनेश पासवान, चौकीदार	30.09.2021		अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित
4	श्री दिलीप पासवान, चौकीदार	15.03.2021		अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित
5	श्री फनक पासवान, चौकीदार	15.03.2021		अप्राप्त	09 माह से भी अधिक लंबित

4. प्रथम दृष्टया इसमें संबंधित संचालन पदाधिकारी द्वारा अभिरूची नहीं लेने का मामला परिलक्षित होता है। अतः उपरोक्त सभी संचालन पदाधिकारी को इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है कि क्यों नहीं निर्धारित समय सीमा का अप्रत्याशित उलंघन के परिप्रेक्ष्य में उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाये।
5. प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र समाहरणालय तथा शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित मामले को प्रतिवेदित किया गया है। जबकि संबंधित अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) के स्तर से जिला अंतर्गत सभी विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की जानी है। अतः एक सप्ताह के अंदर सभी मामलों को संकलित करते हुए शत प्रतिशत प्रतिवेदन भेजें।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक-2514 स्था0 सहरसा, दिनांक-30.3.2026

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, सहरसा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल/अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली/अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता-सह-नोडल पदाधिकारी, विभागीय जांच, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच/आयुक्त के सचिव कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला स्थापना उप समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक-................स्था0 सहरसा, दिनांक-....................2026

प्रतिलिपि : श्री दीपक कुमार सिंह, महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा